क्वीर पहचान, स्वास्थ्य और क़ानून

(अरुणकुमार व अन्य बनाम पंजीकरण महानिरीक्षक व अन्य मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फ़ैसले पर आधारित)

2019 SCC OnLine Mad 8779

एक रुकी हुई शादी

यह अरुणकुमार और श्रीजा की कहानी है.

अक्तूबर 2018 में तमिलनाडु के एक तटीय कस्बे तूतीकोरीन के एक मंदिर में दो व्यक्तियों अरुणकुमार और श्रीजा की शादी हुई. लेकिन इसे क़ानूनी मान्यता मद्रास उच्च न्यायालय की दख़ल के बाद अप्रैल 2019 में जाकर मिल पाई.

इस जोड़े के सामने कौन-सी रुकावटें आईं? और कैसे यह मामला एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के अधिकार के दायरे में आता है?

यह मामला पहचानों और सामाजिक संबंधों के उस जटिल ताने-बाने की एक बानगी है, जिसका सामना क़ानून को करना पड़ता है. ज्यों-ज्यों हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, हम निजी रिश्तों, क्वीर पहचान, इंटरसेक्स (मध्यलिंगी) स्थिति, स्वास्थ्य और जाति जैसे मामलों से रूबरू होंगे

...

C-HELP

JUSTICE adda

अदालत में दस्तक

2018 में अपनी शादी के बाद अरुणकुमार और श्रीजा को उच्च न्यायालय में फ़रियाद करनी पड़ी

हिंदू रीति-रिवाज़ों के मुताबिक़ अपनी शादी पूरी करने के बाद जब दोनों ने अपनी शादी को तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन ऑफ़ मैरिज रूल्स के तहत रजिस्टर कराने के लिए संबद्ध सरकारी कार्यालय से संपर्क किया, तो अधिकारियों ने मना कर दिया.

इस फैसले के ख़िलाफ़ सक्षम अधिकारियों के सामने उनकी अपील भी नाकाम रही.

कोई और विकल्प नहीं रहने के बाद अरुणकुमार और श्रीजा ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शादी के क़ानूनी रजिस्ट्रेशन से मना किए जाने को चुनौती दी.

लेकिन उनकी शादी के रजिस्ट्रेशन पर क्या आपत्ति थी?

C-HELP

JUSTICE adda

क्या क़ानून में सिर्फ़ दो विपरीत जेंडरों को ही मान्यता दी गई है?

अधिकारियों के मुताबिक उनकी शादी के रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति यह थी कि श्रीजा हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के सेक्शन 5 के तहत "वधू" नहीं मानी जा सकती थीं.

अरुणकुमार को जहाँ एक पुरुष के रूप में पहचाना गया, श्रीजा एक मध्यलिंगी (इंटरसेक्स) व्यक्ति हैं, जिन्हें जन्म के समय पुरुष माना गया था, लेकिन जो ख़ुद को एक महिला के रूप में देखती हैं.

जवाबदाता अधिकारियों ने दलील दी कि श्रीजा एक महिला नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर हैं, और इस तरह उन्हें क़ानूनन वधू नहीं माना जा सकता है.

अदालत ने इस मामले पर किस तरह विचार किया?

इस मामले के सामने आने के बाद अदालत ने गौर किया कि यह एक ऐसा मामला था जिसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही सुलझा लिया था.

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (एन.एएल.एस.ए.) बनाम भारत संघ (2014) 5 SCC 438 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा अपनी लैंगिक पहचान का फैसला ख़ुद करने के अधिकार (आत्म-निर्णय के अधिकार) का समर्थन किया था.

अदालत ने एन.एएल.एस.ए. में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के वैधानिक प्रावधानों को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए कि वे क़ानून में होने वाली प्रगति के अनुकूल हों.

एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि:
संविधान दो विपरीत जेंडरों की मान्यता तक सीमित नहीं है

एन.एएल.एस.ए. मामले में अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव से आज़ादी का अधिकार), 19(1)(a) (बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी), और अनुच्छेद 21 (जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार) का हवाला देते हुए कहा गया था कि ये वो संवैधानिक गारंटियाँ हैं जो सभी "व्यक्तियों" को दी गई हैं, जिसमें लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव किए बिना क़ानून के सामने सबकी बराबरी को स्वीकार किया गया है.

इसमें कहा गया,

"अनुच्छेद 15…में सेक्स के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया, यह माना गया कि लैंगिक भेदभाव एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसको संबोधित करने की ज़रूरत है. यह समझा जा सकता है कि संविधान-निर्माताओं ने लैंगिक भेदभाव के ख़िलाफ़ मूलभूत अधिकार पर ज़ोर दिया ताकि लोगों के विरुद्ध भेदभाव करने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुझान की रोकथाम की जा सके, इसलिए कि वे दो विपरीत जेंडरों के रूढ़ सामान्यीकरण के अनुकूल नहीं हैं. जेंडर और विशेष जीववैज्ञानिक लक्षण सेक्स के विशिष्ट घटकों का निर्माण करते हैं. बेशक विशेष जीववैज्ञानिक लक्षणों में यौनांग, क्रोमोसोम और गौण यौनिक विशेषताएँ शामिल हैं, लेकिन जेंडर संबंधी विशिष्टता में एक व्यक्ति की अपनी आत्म-छवि, यौन पहचान और चरित्र को लेकर गहरा मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक बोध शामिल है. अनुच्छेद 15 के तहत "सेक्स" के आधार पर भेदभाव में…लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव शामिल है."

जेंडरब्रेड व्यक्ति

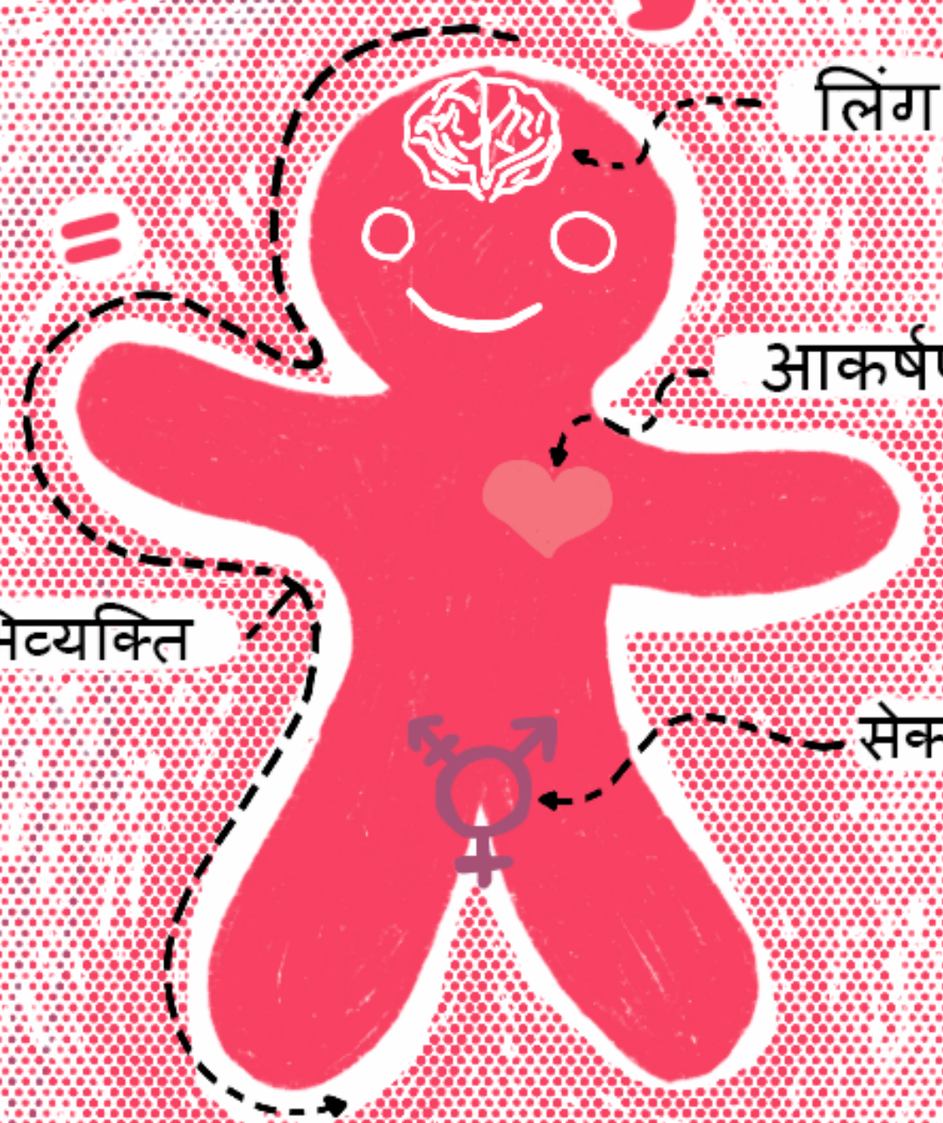

लैंगिक पहचान
- → औरत पना
- → पुरुष पना

लैंगिक अभिव्यक्ति
- → स्त्रीलिंग
- → पुल्लिंग

पैदाइशी लिंग
- → लड़कीपन
- → लड़कापन

पहचान ≠ अभिव्यक्ति ≠ पैदाइशी लिंग

≠ जेंडर ≠ सेक्सुअल आकर्षण

सेक्स के लिए आकर्षण (लैंगिक आकर्षण).....
- → (औरत/लड़किया/स्त्रीत्य/औरतपन)
- → (पुरुष / लड़के / पौरुष)

रोमांटिक आकर्षण....
- → (औरत/लड़किया/स्त्रीत्य/औरतपन)
- → (पुरुष / लड़के / पौरुष)

सैम किलरमैन द्वारा 2017 में Genderbread Person Version 4 बनाया और अकॉपीराइट किया ग्या

C-HELP

JUSTICE adda

एक क़दम आगे बढ़ते हुए: जबरन सुधारात्मक सर्जरी पर

इस मामले में दूसरी याचिकाकर्ता एक मध्यलिंगी के रूप में पैदा हुई थीं और अपने अभिभावकों द्वारा एक लड़के की तरह उनका पालन-पोषण किया गया था. सुनवाई के दौरान, अदालत को मध्यलिंगी बच्चों पर होने वाली जबरन सुधारात्मक सर्जरियों के मुद्दे के बारे में सूचित किया गया.

लेकिन आइए हम पहले जानते हैं कि "मध्यलिंगी" का मतलब क्या होता है.?

संयुक्त राष्ट्र ने मध्यलिंगी लोगों की पहचान इस रूप में की है कि वे ऐसी यौन विशेषताओं के साथ जन्म लेते हैं (जिसमें यौनांग, जनन ग्रंथियाँ और क्रोमोसोम पैटर्न शामिल हैं) जो पुरुष या महिला शरीरों की विपरीत लैंगिक अवधारणाओं के दायरे में नहीं आते हैं. मध्यलिंगी एक व्यापक पहचान (टर्म) है जिसका उपयोग प्राकृतिक शारीरिक भिन्नताओं की एक व्यापक शृंखला को बताने के लिए किया जाता है. कुछ मामलों में, मध्यलिंगी निशानियाँ जन्म के समय ही ज़ाहिर हो जाती हैं, जबकि दूसरों में वे यौन परिपक्वता (प्यूबर्टी) तक ज़ाहिर नहीं होतीं. क्रोमोसोम संबंधी मध्यलिंगी भिन्नताओं के कुछ मामले तो शारीरिक रूप से ज़ाहिर तक नहीं होते.

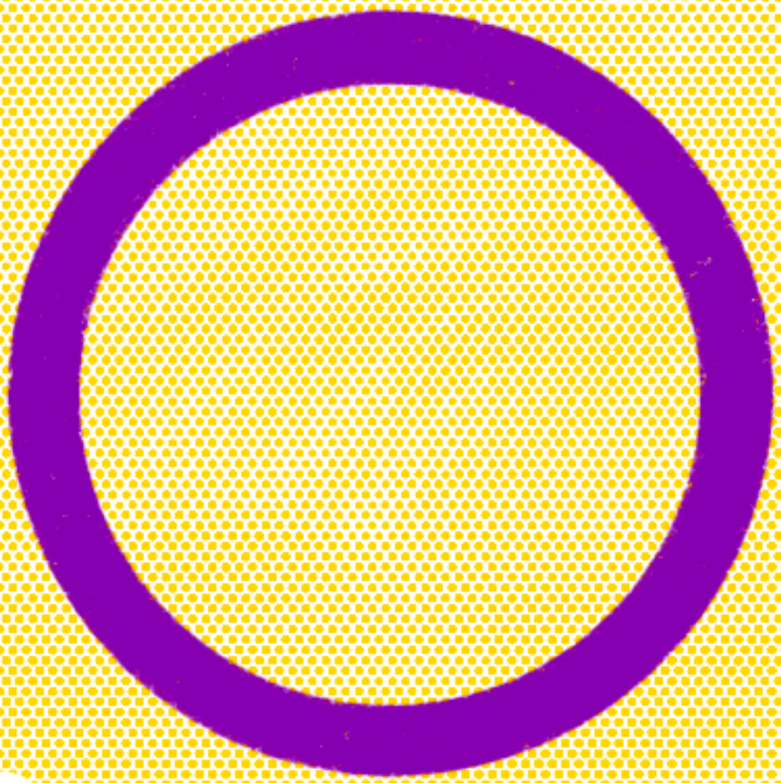

अदालत ने निम्न पहलुओं पर ग़ौर किया...

1 जबरन सुधारात्मक सर्जरियों पर एक शिकायत पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का आधिकारिक जवाब यह था कि मेडिकल प्रैक्टिशनरों ने आम तौर पर इन सर्जरियों से पहले अभिभावकों या गार्डियनों से सहमति ली थी.

2 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट 'सेक्सुअल हेल्थ, ह्यूमन राइट्स एंड द लॉ' में सिफ़ारिश की थी कि मध्यलिंगी लोगों पर कोई भी सर्जरी समुचित सूचनाओं पर आधारित उनकी सहमति के बिना नहीं होनी चाहिए. एक मेडिकल कार्यवाही पर कोई भी विचार तब तक नहीं होना चाहिए जब तक व्यक्ति इतना बड़ा न हो जाए कि सोच-समझ कर (इन्फॉर्म्ड) फैसला ले सके और सोच-समझ कर (इन्फॉर्म्ड) सहमति दे सके. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अनेक मानवाधिकार संस्थाओं और नैतिक और स्वास्थ्यकर्मियों के संगठनों ने सिफ़ारिश की है कि मध्यलिंगी स्थितियों वाले लोगों के लिए मेडिकल दख़लंदाज़ी में स्वतंत्र और इन्फॉर्म्ड सहमति को सुनिश्चित किया जाए, जिसमें सुझाए गए इलाज, इसके औचित्य और विकल्पों के बारे में पूरी सूचना, मौखिक और लिखित में दी जानी चाहिए.

3 भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 39(f) कहता है कि राज्य अपनी नीतियों को ऐसी दिशा देगा कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ ताकि वे एक स्वस्थ तरीके से और आज़ादी और गरिमापूर्ण स्थितियों में विकास कर सकें और कि बच्चे और युवा शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्याग से सुरक्षित रहें.

...और इसका समर्थन किया

अभिभावकों/गार्डियनों की सहमति बच्चे की सहमति की जगह नहीं ले सकती है. 1

लैंगिक पहचान को क़ानूनी मान्यता देने के लिए मेडिकल क़दमों (सेक्स की एक विशेष पहचान को निश्चित करने, वंध्याकरण करने या हार्मोनल थेरेपी करने) की रोकथाम के संबंध में एन.एएल.एस.ए. के निर्देश मध्यलिंगी व्यक्तियों पर लागू होते हैं. 2

चूँकि एन.एएल.एस.ए. फैसले के बावजूद सर्जरियाँ जारी हैं, तमिलनाडु राज्य उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर एक सरकारी आदेश जारी करेगा ताकि मध्यलिंगी शिशुओं और बच्चों पर जबरन सुधारात्मक सर्जरियों पर कारगर प्रतिबंध लगाया जा सके. 3

एक पहलू और:
जाति पर आधारित सामाजिक कल्याण की हक़दारियाँ

अदालत ने डॉ. आंबेडकर के शब्दों को याद किया, *"सिर्फ़ अंतरजातीय विवाह ही आख़िरकार सामाजिक एकीकरण की तरफ़ ले जाएँगे और प्रस्तावना (Preamble) में कहे गए मैत्री के वादे को पूरा करेंगे."*

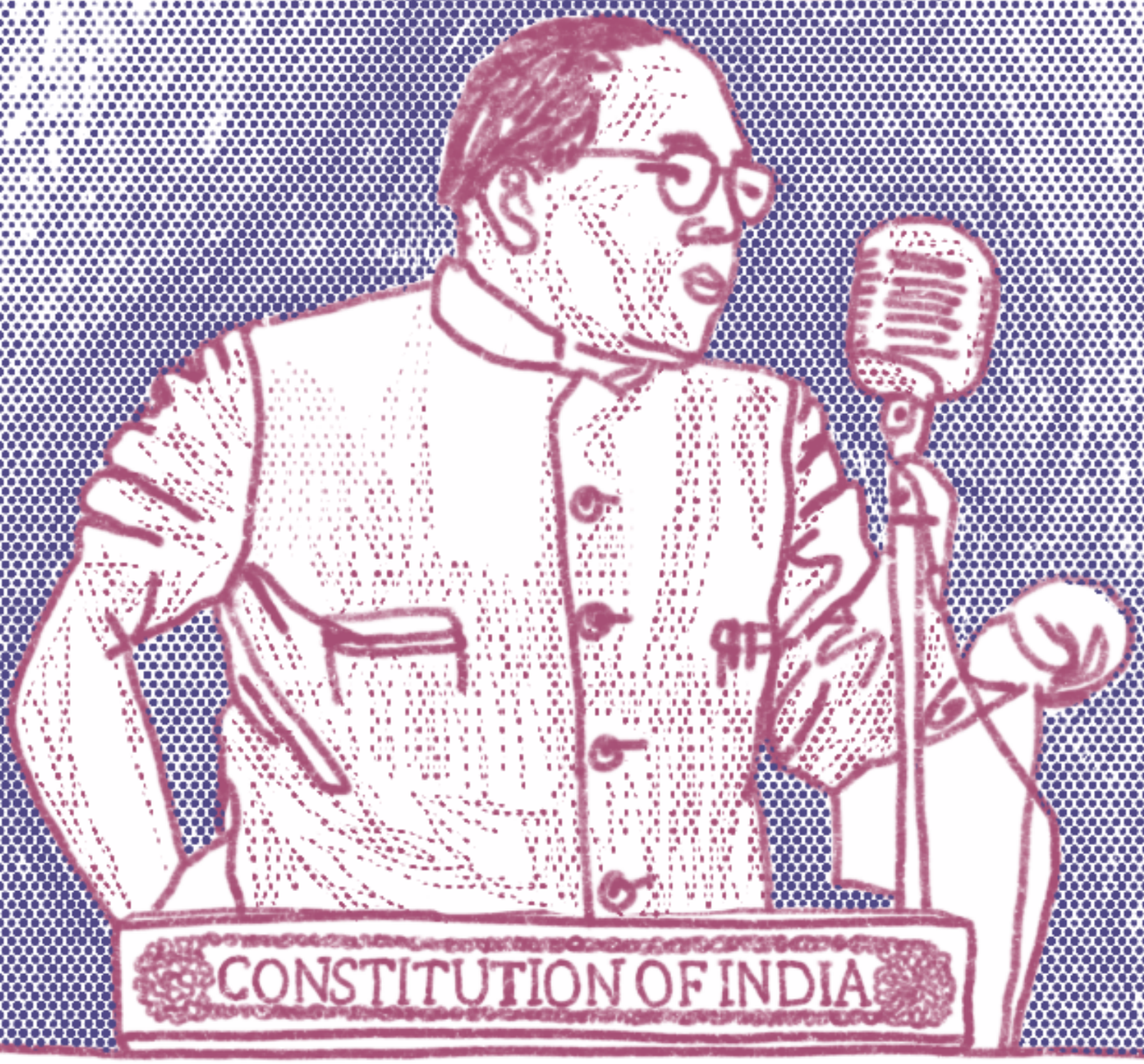

अदालत ने एक क़दम और आगे बढ़ते हुए कहा कि चूँकि अरुणकुमार एक कुरवन समुदाय से आते हैं जो एक अनुसूचित जाति है, और श्रीजा शैव वेल्ललार समुदाय से जुड़ी हैं, इसलिए वे एक अंतर्जातीय दंपती हैं, और इसलिए वे डॉ. आंबेडकर स्कीम फ़ॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिजेज़ (अंतर्जातीय विवाहों के ज़रिए सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. आंबेडकर योजना) के लाभ हासिल करने के हक़दार हैं.

अंतिम बात

आख़िरकार, अदालत ने जवाबदाताओं को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ताओं की शादी को रजिस्टर करें, क्योंकि इससे इन्कार करना संविधान के अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार), अनुच्छेद 19(1)(a) (बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी), अनुच्छेद 21 (जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धर्म की आज़ादी) के तहत एक ट्रांसजेंडर महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा.

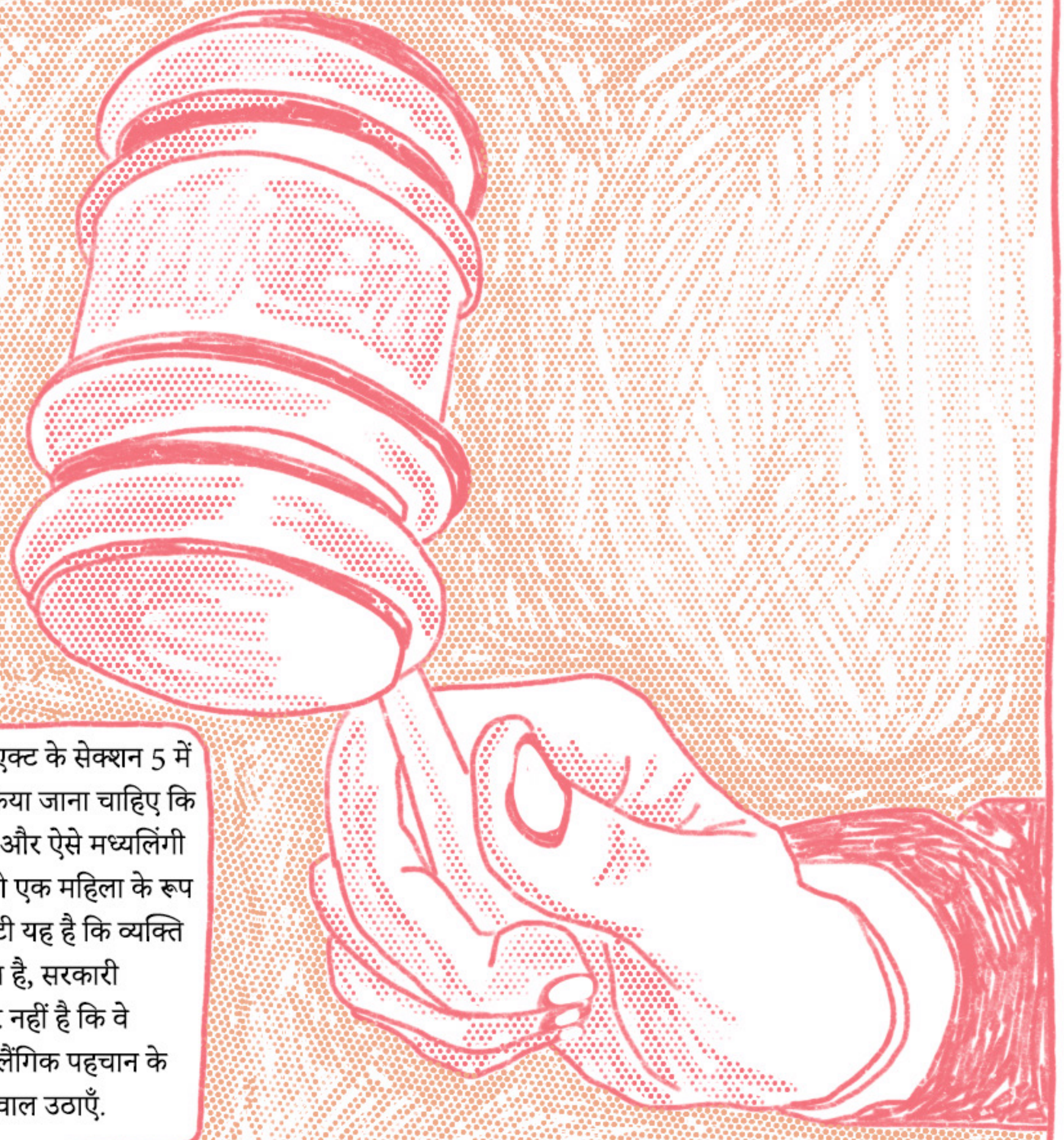

अदालत ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में 'वधू' को इस तरह परिभाषित किया जाना चाहिए कि इसके मायने में एक ट्रांस महिला और ऐसे मध्यलिंगी व्यक्ति भी शामिल हों जो ख़ुद को एक महिला के रूप में देखते हैं. इसकी अकेली कसौटी यह है कि व्यक्ति ख़ुद की पहचान किस तरह करता है, सरकारी अधिकारियों को इसका अधिकार नहीं है कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा अपनी लैंगिक पहचान के आत्म-निर्णय के अधिकार पर सवाल उठाएँ.

2019 में, इस मामले के बाद, तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य बन गया जिसने शिशुओं और बच्चों पर सुधारात्मक सर्जरियों पर प्रतिबंध लगाया, जो भारत में मध्यलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के मामले में एक ऐतिहासिक प्रगति है.

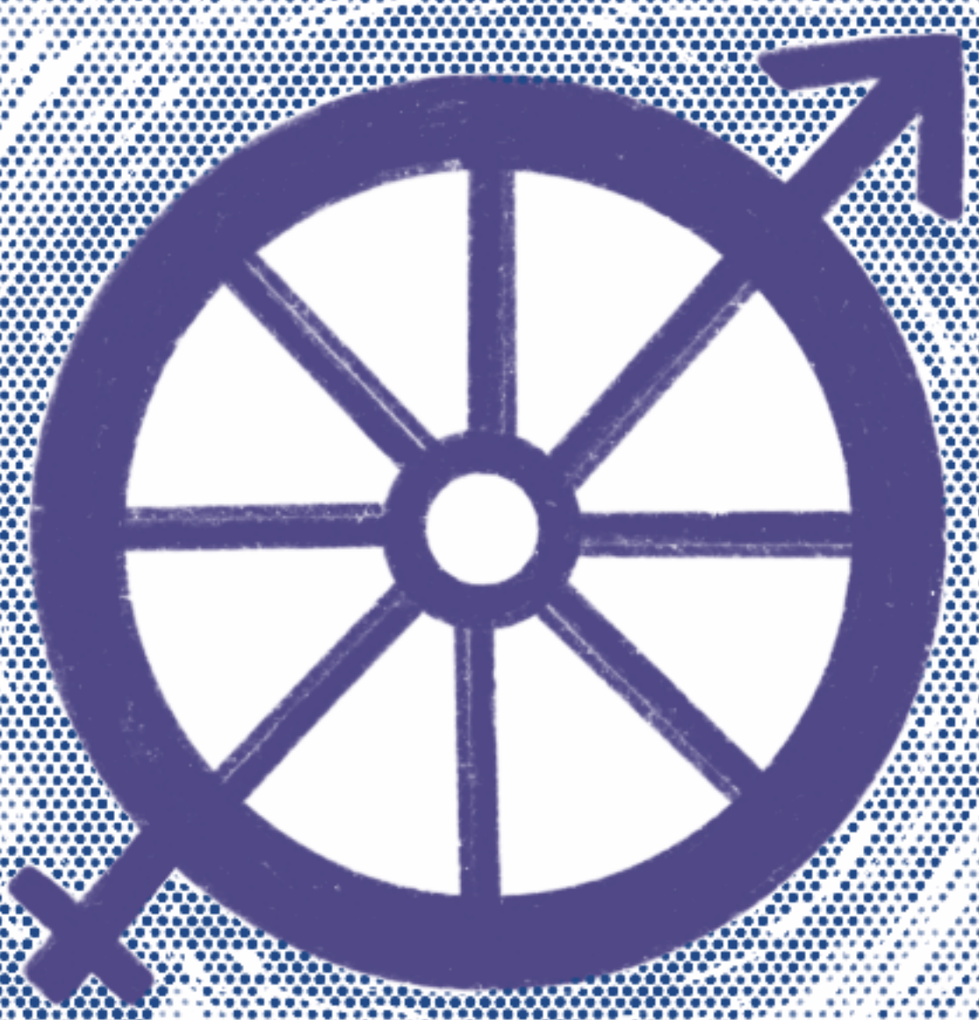

इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, दिल्ली कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (डी.सी.पी.सी.आर.) ने फरवरी 2021 में दिल्ली सरकार को शिशुओं और बच्चों की जबरन सुधारात्मक सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत पर दिशानिर्देश दिए.